अनुमति प्राप्त हुई थी, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान (अठारहवां संशोधन) विधेयक, 1966
(2) व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक, 1966
(3) दण्ड विधि संशोधन (संशोधी) विधेयक, 1966
(4) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1966
(5) जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1966
(6) अत्यावश्यक वस्तुयें (संशोधन) विधेयक, 1966
(7) दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक, 1966
(8) पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1966
(9) बिजली (सम्भरण) संशोधन विधेयक, 1966
(10) पंजाब पुनर्गठन विधेयक, 1966

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

छियानवेवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छियानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

दसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं विशेषाधिकार समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

दिल्ली में हाल में हुई त्रिराष्ट्रीय बैठक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: RECENT TRIPARTITE MEETING HELD IN DELHI.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : 21 अक्तूबर 1966 से 24 अक्तूबर 1966 तक राष्ट्रपति नासर, राष्ट्रपति टीटो तथा भारत के प्रधान मंत्री की नई दिल्ली में बैठक हुई । इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व तथा आपसी हित के विषयों पर विचार-विमर्श हुआ । इस सम्मेलन में नेताओं ने महसूस किया गुटनिरपेक्ष नीति सभी विकासशील देशों के लिये लाभदायक तथा हितकर है । हमने इस बात के महत्व को दोहराया है कि सभी

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

अन्तर्राष्ट्रीय वादों को बल से नहीं बल्कि शान्तिमय तरीकों से सुलझाया जाना चाहिये। हमें यह जान कर सन्तोष हुआ कि गुट निरपेक्षता की नीति की मान्यता बढ़ती जा रही है। ताशकन्द समझौते के इस बारे में योगदान के महत्व को भी समझा गया।

हमारे विश्लेषण से गुटनिरपेक्षता तथा शान्तिमय सहअस्तित्व को होने वाले खतरों का भी पता चला। यह मुख्य रूप से कई राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों के आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप करने के कारण होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद की नीति तथा उपनिवेशवाद के अवशेषों तथा दरिद्रता आदि से अभी खतरा बना हुआ है। वियतनाम के बारे में हमारी संयुक्त विज्ञप्ति में दिया गया कि इस समस्या का शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिये।

इस बैठक ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने पूर्ण विश्वास को व्यक्त किया।

विश्व में हथियारों की होड़ के बारे में सम्मेलन ने चिंता व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र महा सभा के 20वें अधिवेशन में पास हुए संकल्प के अनुसार अणु हथियारों के विस्तार पर प्रतिबन्ध के बारे में संधि की मांग की।

सबसे महत्वपूर्ण बात आर्थिक चुनौतियों के सम्बन्ध में सामूहिक दृष्टिकोण हैं। इन चुनौतियों से विश्वशान्ति को बहुत खतरा है। हमने महसूस किया है कि नये स्वतन्त्र हुए देशों को आत्मनिर्भर होना चाहिये। तभी वे अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। विश्व के विकसित देशों को अन्य देशों की सहायता करनी चाहिये। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक सम्मेलन हो चुका है और दूसरा सम्मेलन अगले वर्ष दिल्ली में होगा।

तीनों देशों में आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार किया गया। यह निर्णय किया गया है कि तीनों देशों के आर्थिक विषयों के मंत्रियों का एक सम्मेलन दिसम्बर के महीने में हो और इस बारे में अग्रेतर कार्यवाही की जाये। वाणिज्यिक, तकनीकी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में तीनों देश एक दूसरे के अच्छे सहयोगी बन सकते हैं। सम्मेलन के उपरान्त राष्ट्रपति नासर कुछ दिन के लिये भारत में रहे और हमें अवसर मिला कि आपसी हितों के मामलों पर आगे विचार करें।

मुझे आशा है कि हमारे देशों के बीच मैत्री और बढ़ेगी और इससे विश्व शान्ति को बल मिलेगा। इस सम्मेलन के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति मैं सभा पटल पर रखती हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7195/66]

श्री हेम बरुआ (गौहाटी): मेरा निवेदन यह है कि इस विषय पर जिन लोगों के नोटिस हैं उन्हें बोलने का अवसर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, इस पर विचार हो चुका है और पुनः विचार करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने केवल स्पष्टीकरण के नाते कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा): यह प्रश्न नियम का है और केवल सभा ही इसका निर्णय कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय: सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई विवाद नहीं होगा। स्पष्टीकरण के लिये कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जायेगी।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : इस बात का निर्णय हमें करना है । नियम बड़े स्पष्ट हैं । मेर नि.दन यह है कि इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष के आदेश के बाद कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

Shri Radha Lal Vyas: Rule 372 is clear, it states that no question shall be asked at the time the statement is made. Even the Constitutionalists agree that the Speaker cannot allow any question after the statement of the Minister.

अध्यक्ष महोदय : यदि इसी तरह शोर चलता रहा तो मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा । कोई औचित्य प्रश्न नहीं लिया जायेगा और मुझे कांग्रेस सदस्यों के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : मेरा विनम्र निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय को संसदीय प्रक्रिया को नियमित करने का अवसर दिया जाना चाहिए । विरोधी पक्ष को भी उन्हें उदारता से ऐसा अवसर देना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have to raise a point of order under 373. Over seven people have been turned out under this rule. Today congress men are behaving worst than that. Why the action is not taken for their disorderly behaviour? They are behaving like this under the instigation of the Prime Minister.

Shri Raghu Nath Singh (Varanasi): No instigation from the Prime Minister.

श्री उमानाथ (पुदुकोट्टै) : यह लोग शोर मचा रहे हैं माननीय अध्यक्ष उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे । क्या कांग्रेस दल को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है ? यह भेदभाव नहीं होना चाहिए ।

Shri Maurya (Aligarh): Congress members have been creating disturbance for the last many minutes but they have not been turned out. Why are they not being given any punishment

श्री नाथ पाई (राजापुर): मैं इधर उधर की बातों में न जा कर प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बार बार बड़े सिद्धान्तों की बातें कर के हम वियतनाम के लोगों के दुःखों को दूर कर सकेंगे अथवा उस संघर्ष का अन्त करवा सकेंगे ? चीन ने जो हमारा 14000 वर्ग मील इलाका अपने कब्जे में कर रखा है उसके बारे में उन्हें क्या कहना है ? जब हमारी प्रधान मंत्री शिखर सम्मेलन में दुनिया भर की चीजों पर चर्चा कर रही थीं उसी समय सिक्किम और भूतान में घुसपैठ हो रही है । प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : चीन के आक्रमण की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है और उसके प्रति हम जागरूक भी हैं परन्तु हम उन बातों को लेना चाहते थे जिन पर अधिक से अधिक सहमति सम्भव हो सकती थी । द्विपक्षीय झगड़ों का उल्लेख हम सामान्य विज्ञप्ति में नहीं करना चाहते थे ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री कृपया मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर देवें । यह खेद की बात है कि हमारे हित की सभी बातें छोड़ दी गई हैं । द्विपक्षीय झगड़ों को छोड़ा गया है यह भी गलत है । ईसराइल की निन्दा की गई है परन्तु भारत की सुरक्षा की दृष्टि से जो बात महत्वपूर्ण है वह नहीं कही गयी । हमारे ऊपर हमला करने वालों की भी निन्दा नहीं की गई है । राष्ट्रपति नासर

[श्री नाथ पाई]

और संयुक्त अरब गणराज्य का ईसराइल से झगड़ा है और हम फिलस्तीन के अरबों का समर्थन कर रहे हैं। यदि यह है तो फिर चीन के हमले का उल्लेख क्यों नहीं कर सकते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कहा है कि उन बातों को लिया गया जिन पर अधिक से अधिक सहमति थी। चीन के प्रश्न पर भी दोनों नेताओं से बातचीत हुई परन्तु यह मामला अभिव्यक्ति का था।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : हम विश्वशान्ति चाहते हैं। हमारी शान्ति को चीन और पाकिस्तान से धक्का लगा है पर हमने केवल इन तीन देशों को ही शिखर सम्मेलन में बुलाने का निर्णय किया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस सम्मेलन का आरम्भ भारत की ओर से नहीं हुआ था। अतः हमारे बुलाने का कोई प्रश्न नहीं है। उन प्रयत्नों को लिया गया जिन में हमारी रुचि है।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : क्या यह ठीक है कि संयुक्त अरब गणराज्य अन्य अरब राष्ट्रों को साथ लेकर ईसराइल को संसार के मानचित्र से मिटा देना चाहता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक औद्योगिक और आर्थिक मामलों में सहयोग प्राप्त करना था। केवल इन दोनों देशों से नहीं अन्य देशों से भी सहयोग का विचार था। यह केवल एक अवसर की बात है कि इन तीनों राष्ट्रों की बैठक पहले भी हो चुकी है। हमने अपने यहां भी उसकी बैठक रख ली। अन्य देशों में भी ये बैठकें हो सकती हैं।

श्री नारायण दांडेकर : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हैं।

श्री उमानाथ : संयुक्त अरब गणराज्य का मतलब जहां तक वियतनाम में सेनाओं को वापस बुलाने का है केवल अमरीकी सेनाओं से ही है। सभी विदेशी सेनाओं से नहीं, क्या हमारी सरकार की भी यही स्थिति है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उनका मतलब सभी देशों की सेनाओं से था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : दो रिपोर्टें परस्पर विरोधी हैं। एक में कहा गया है कि भारत के अतिरिक्त दोनों राष्ट्र अमरीका को हमला करने वाला मान रहे थे, परन्तु इस बात को विज्ञप्ति में भारत के विरोध के कारण व्यक्त नहीं किया गया। एक रिपोर्ट यह है कि उत्तरी वियतनाम सरकार ने इन तीनों ही राष्ट्रों से कहा था कि वियतनाम के मामले का उल्लेख न किया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारा दृष्टिकोण तो स्पष्ट ही था वहां तो इसका उल्लेख मांग करने वाली बात थी। यह बात ठीक है कि उत्तर वियतनाम की सरकार ने हमें इस प्रकार की प्रार्थना की थी।

Dr. Ram Manohar Lohia: Just now Prime Minister has stated two contradictory things. She said that non-alignment is getting successful only there are some difficulties in the way. On the other hand she refers to the increasing pressure. I want Prime Minister to explain very clearly what are the achievements of this policy.

Shrimati Indira Gandhi: I have already stated that we are gradually getting cooperation of each other countries. The decisions taken are solid. We are not ignoring our own important problems.

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : काफी संकोच के साथ मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा मंत्रि परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

Shri Yashpal Singh (Kairana): I rise on a point of Order. The hon. leader of the Jan Sangh is speaking in English while his language is Hindi. He knows Hindi very well.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): The hon. Member has left all his principles and is accusing the Jan Sangh only to get few votes of Mohammedans.

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिवेदी अपना भाषण जारी रखें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : गत कुछ महीनों में देश में तथा विधान मण्डलों में हुई घटनाओं से पता चलता है कि लोगों द्वारा सरकार की अपेक्षा की जा रही है और यदि इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो भारत में लोकतन्त्र का विनाश निश्चित है। लोग खुले आम तानाशाही की बातें करते हैं। हिटलर के समय हमने जर्मनी में तानाशाही का नमूना देखा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

देश के सामने जो बुराइयां हैं उनकी औषधि तानाशाही का शासन नहीं है। आम जनता में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि कोई भी बात मनवाने के लिये बल प्रयोग करना, हिंसात्मक कार्यवाही करना तथा आन्दोलन चलाना आवश्यक है। आम लोगों में यह भावना उत्पन्न करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। विद्यार्थियों के आन्दोलन के बारे में भी यही भावना कार्य कर रही है।

लोगों में प्रांतीयवाद की भावना उत्पन्न हो गई है और 1956 में राज्यों के पुर्नगठन के पश्चात् विशेषकर समस्त भारत में यह भावना बढ़ती ही जा रही है। बम्बई बन्द के दौरान गैर-महाराष्ट्रीयों को परेशान किया गया और पुलिस खड़ी देखती रही। जिसके फलस्वरूप दो मंत्रियों सहित विधान मण्डल के 17 सदस्यों ने अपने त्यागपत्र दे दिये। मैसूर-महाराष्ट्र सीमावाद के लिये दंगे हुए और पुलिस खड़ी देखती रही। राज्य सरकारों ने इस प्रवृत्ति को कम करने के बजाय उसे और बढ़ावा दिया है। केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। इसी प्रवृत्ति के कारण विभिन्न राज्यों में दंगे हुए तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का विनाश हुआ है। इसके लिये केवल वर्तमान सरकार को ही दोषी ठहराया जा सकता है।

लोगों तथा संस्थाओं द्वारा सरकार की उपेक्षा की प्रवृत्ति से लोकतन्त्र को खतरा उत्पन्न हो गया है। अब समय आ गया है जबकि सरकार को प्रांतीयवाद की इस भावना को बढ़ने से दृढ़ता से रोकना चाहिए। सरकार ने लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आन्दोलन आदि करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। देश में वर्तमान स्थिति के लिये सरकार ही जिम्मेदार है।